**भारत सरकार**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2355**

**मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले ई-वाहन**

**2355. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मेक इन इंडिया पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत को विनिर्माण स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए किसी योजना का अनुमोदन किया है ताकि देश में नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले ई-वाहनों (ईवी) का विनिर्माण किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के लिए अनुमानित निधि और निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क):** निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी। यह अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है, जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व भर में बढ़ावा दिया है। मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय मिशनों के जरिए निवेश तक पहुंच स्थापित की जा रही है देश में घरेलू निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0 मुख्य रूप से **27 क्षेत्रों** पर केंद्रित है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों में कार्यान्वित किया गया है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत आने वाले 27 क्षेत्रों की सूची निम्नलिखित है:-

**विनिर्माण क्षेत्र**

**(i)** एयरोस्पेस और रक्षा
**(ii)** ऑटोमोटिव और ऑटो पुर्जे
**(iii)** फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
**(iv)** जैव-प्रौद्योगिकी
**(v)** पूंजीगत वस्तुएं
**(vi)** वस्त्र और परिधान
**(vii)** रसायन और पेट्रो रसायन
**(viii)** इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)
**(ix)** चमड़ा और फुटवियर
**(x)** खाद्य प्रसंस्करण

**(xi)** रत्न और आभूषण
**(xii)** पोत परिवहन
**(xiii)** रेलवे
**(xiv)** निर्माण
**(xv)** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

**सेवा क्षेत्र**

**(i)** सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
**(ii)** पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं
**(iii)** मेडिकल वैल्यू यात्रा
**(iv)** परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
**(v)** लेखांकन और वित्त सेवाएं
**(vi)** ऑडियो विजुअल सेवाएं
**(vii)** विधिक सेवाएं
**(viii)** संचार सेवाएं
**(ix)** निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
**(x)** पर्यावरण संबंधी सेवाएं
**(xi)** वित्तीय सेवाएं
**(xii)** शिक्षा संबंधी सेवाएं

आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा कोविड-19 के कारण उत्पन्न बाधाओं को विकास के अवसरों में बदलने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के सॉफ्ट लांच आदि सहित अनेक उपाय किए हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में, एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ) कार्यान्वयन के अधीन है। पीएलआई स्कीमों की घोषणा से, अगले पांच वर्षों तथा उससे आगे की अवधि के दौरान निवेश, उत्पादन, कौशल, रोजगार, आर्थिक वृद्धि तथा निर्यात में व्यापक सुधार होने की संभावना है। अब तक, 14 क्षेत्रों में देशभर से 755 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

**(ख) से (ङ):** भारत को ईवी के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, वर्तमान में विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

i. 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक 6 महीने की अवधि के लिए 778 करोड़ रुपए के परिव्यय से **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, 2024 (ईएमपीएस)**, जो ई-2व्हीलर और ई-3व्हीलर के खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

ii. 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से **ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-एएटी)**। यह स्कीम ई-2 व्हीलर, ई-3 व्हीलर, ई-4 व्हीलर, ई-बसों और ई-ट्रकों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों को प्रोत्साहित करती है।

iii. 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से देश में **एडवांस्ड केमेस्ट्री सेल (पीएलआई-एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम।**

iv. वैश्विक ईवी विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए **इलेक्ट्रिक यात्री-कार के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम**।

*****